भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या- *136

गुरूवार, 12 फरवरी, 2026/23 माघ, 1947 (शक)

जम्मू और कश्मीर में रोजगार पैकेज

***136. श्री चौधरी मोहम्मद रमज़ान:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संघ राज्य क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर में शिक्षित बेरोजगार युवाओं की संख्या के संबंध में हाल ही में कोई आकलन किया है;

(ख) राष्ट्रीय औसत की तुलना में संघ राज्य क्षेत्र में बेरोजगारी की नवीनतम दर क्या है; और

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संघ राज्य क्षेत्र में लंबे समय तक बेरोजगारी के कारण युवाओं में मादक पदार्थों की लत और अपराध सहित गंभीर सामाजिक समस्याएं पैदा हो रही हैं और क्या सरकार संघ राज्य क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं के लिए स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करने के लक्ष्य से एक विशेष, क्षेत्र-विशिष्ट रोजगार पैकेज लाने का विचार रखती है?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(डॉ मनसुख मांडविया)

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

*

"जम्मू और कश्मीर में रोजगार पैकेज" के संबंध में सांसद श्री चौधरी मोहम्मद रमज़ान द्वारा दिनांक 12.02.2026 को पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *136 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ग): रोजगार और बेरोजगारी का डाटा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से एकत्र किया जाता है जिसे वर्ष 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा करवाया जा रहा है।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, देश में सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष 2019-20 में 4.8% से घटकर वर्ष 2023-24 में 3.2% हो गई है और जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में इसी अवधि के दौरान 6.7% से घटकर 6.1% हो गई है।

इसके अतिरिक्त, देश में सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का रोजगार को दर्शाने वाला अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) वर्ष 2019-20 में 50.9% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 58.2% हो गया है और इसी अवधि के दौरान जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में यह अनुपात 52.5% से बढ़कर 60.4% हो गया है।

इसके अतिरिक्त, जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में वर्ष 2019-20 और 2023-24 के दौरान विभिन्न सामान्य शिक्षा स्तरों के 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) निम्नानुसार है:

बेरोजगारी दर (% में)		
सामान्य शैक्षिक स्तर	2019-20	2023-24
साक्षर और प्राथमिक शिक्षा तक	0.4	0.6
पूर्व-माध्यमिक	2.5	2.2
माध्यमिक	5.2	2.3
उच्चतर माध्यमिक	14.6	10.7
माध्यमिक और उससे अधिक	14.6	12.7

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

उपरोक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में विभिन्न सामान्य शिक्षा स्तरों के लिए बेरोजगारी दर में भी पिछले कुछ वर्षों में कमी आई है। पीएलएफएस रिपोर्टों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जानकारी उपलब्ध है, जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट https://www.mospi.gov.in/publications-reports पर देखा जा सकता है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना (जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के युवाओं सहित) सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, सरकार देश में विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

सरकार देश भर में कौशल विकास केंद्रों/विद्यालयों /महाविद्यालयों/ संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) तथा शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) आदि के तहत कौशल, पुन: कौशल और कौशल संवर्धन प्रशिक्षण प्रदान करके कौशल भारत मिशन (एसआईएम) का कार्यान्वयन भी कर रही है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं (जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के युवाओं सहित) को उद्योग जगत से संबंधित कौशल प्रदान करके भविष्य के लिए तैयार करना है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने आईटी क्षेत्र से जुड़े कार्मिकों की री-स्किलिंग/अप-स्किलिंग के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित 10 नई/उभरती प्रौद्योगिकियों में रोजगारपरकता के लिए 'फ्यूचर स्किल्स प्राइम' कार्यक्रम शुरू किया है।

पर्यटन मंत्रालय जम्मू और कश्मीर सहित अंतरराष्ट्रीय और घरेलू स्तर पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई प्रचार कार्यक्रम आयोजित करता है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत, 2016-17 के दौरान हिमालयन सर्किट के तहत जम्मू और कश्मीर में कुल छह परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी, जिनकी स्वीकृत लागत 519.58 करोड़ रुपये थी। ये सभी परियोजनाएं वास्तविक रूप से पूरी हो चुकी हैं। मंत्रालय ने इस योजना को स्वदेश दर्शन 2.0 के रूप में संशोधित किया है, जिससे सर्किट-आधारित विकास से स्थायी पर्यटन स्थलों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इन पहलों से पर्यटकों की संख्या और स्थानीय रोजगार में वृद्धि हुई है।

सरकार विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, सभी क्षेत्रों में रोज़गार सृजन, रोज़गार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना नामक रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को कार्यांवित कर रही है। 99,446 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगारों के सृजन को प्रोत्साहित करना है।

इसके अलावा, भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है।

*****